

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-5-1/2010/3/एक

भोपाल, दिनांक ०५ फरवरी, 2011

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- शासकीय सेवकों के अचल संपत्ति विवरण की वेबसाईट पर अपलोडिंग।
संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 2010.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19(1) के अनुसार पूर्व वर्ष की तरह इस वर्ष के शासकीय सेवकों द्वारा अचल संपत्ति विवरण के संबंध में वार्षिक विवरण कम्प्यूटर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के संबंध में जारी निर्देश के क्रम में राजस्व शासकीय सेवकों के अचल संपत्ति विवरण दिनांक 31 जनवरी, 2011 तक कम्प्यूटर वेबसाईट पर अपलोड किये जाकर जानकारी इस विभाग को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश संदर्भित पत्र द्वारा जारी किये गये थे।

2/ अतः आपसे अनुरोध है कि आपके द्वारा आपके अधीनस्थ कार्यरत शासकीय सेवकों के अचल संपत्ति विवरण की जानकारी वेबसाईट पर अपलोड किये जाने संबंधी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 15 फरवरी, 2011 तक इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


31/2/2011
(अकीला हशमत)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

समन्वय
18/2/11


3
25/2

3
28/2/11

लोक शिक्षण संचालनाय
मध्य प्रदेश

पृष्ठ. क्रमांक/समन्वय/डी/45/2009-2010/41 भोपाल,दिनांक ३/३/2011
प्रतिलिपि:-

1. सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ जबलपुर,इन्दौर,भोपाल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी विधि प्रकोष्ठ ग्वालियर।
7. प्राचार्य,शासकीय तात्याटोपे शिक्षा महाविद्यालय,शिवपुरी।
8. योग विभागाध्यक्ष, योग प्रशिक्षण केन्द्र,1464 टी.टी.नगर,भोपाल।
9. अधीक्षक वैद्यशाला उज्जैन मध्यप्रदेश।
10. मुख्य पुस्तकालय इन्दौर,भोपाल रीवा एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश।
11. प्रादेशिक सचिव भारत स्कूट एवं गाइड एसोसिएशन भोपाल।
12. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश।
13. समस्त अधिकारी अधीक्षक,सहायक अधीक्षक लोक शिक्षण संचालनालय,
मध्यप्रदेश की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण,मध्य प्रदेश